भीम

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक :–एफ.28( )पंरावि/प्रशा–2/ग्राविअ/रिक्त पद(नि.)/2021/326 जयपुर,दिनांक:–02/02/2021

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–समस्त।

विषय :– ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के रिक्त पदों पर सेवानिवृत ग्रामसेवकों की सेवायें समेकित परिश्रमिक के आधार पर लिये जाने बाबत्।

पंचायत राज संस्थाओं में वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के काफी संख्या में पद रिक्त चल रहे हैं तथा पंचायत राज संस्थाओं के पुर्नगठन से नवसृजित ग्राम पंचायतों में कुल 1426 नव सृजित पद भी रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रकियाधीन है। ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के रिक्त पदों का चार्ज निकटस्थ पंचायत में पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) को ही दिये जाने हेतु पूर्व में विभागीय पत्र क्रमांक 4178 दिनांक 05.10.2018 के द्वारा निर्देश जारी किये हुए हैं । ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के पद रिक्त होने से विकास कार्य प्रभावित ना हो एवं आम जनता को पंचायत के कार्यो से संबंधित कोई बाधा ना हो इस दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के रिक्त पद के विरूद्व सेवानिवृत ग्राम विकास अधिकारियों (ग्रान सेवकों) की सेवायें वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तो के अध्याधीन समेकित पारिश्रमिक के आधार पर ली जा सकती है ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि यह सुनिश्चित करें कि किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) का पद रिक्त नहीं रहे । ग्राम पंचायत में रिक्त ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के पद पर या तो निकटतम ग्राम पंचायत के ग्रान विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) को अतिरिक्त चार्ज देकर या फिर सेवानिवृत हुए ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तों के अध्याधीन समेकित पारिश्रमिक के आधार पर नियमानुसार सेवायें ली जाकर समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करें ।

<u>संलग्नः– वित्त विभाग का परिपत्र दि0 8.2.2018</u>

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव एवं आयुक्त